न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष मनोज गोयल

प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1881-I/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.06.2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह जिला मुरैना प्रकरण क्रमांक 11/2013–14 अपील

नरेश सिह पुत्र नाथूसिंह तोमर

निवासी ग्राम नगरा तहसील पोरसा जिला मुरैना

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मुन्नालाल शर्मा पुत्र श्री आशाराम शर्मा,

निवासी अटैर रोड़ पोरसा जिला मुरैना

2–महेश सिंह पुत्र नाथू सिंह तोमर

निवासी ग्राम नगरा तहसील पोरसा जिला मुरैना

..... अनावेदकगण

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक आवेदक

श्री डी0एस0चौहान, अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 1

एकपक्षीय – अनावेदक क्रमांक 2

:: आदेश ::

(आज दिनांक को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह जिला मुरैना प्रकरण क्रमांक 11/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 18–6–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने एक आवेदन पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम पोरसा की भूमि खसरा नम्बर 903/2 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा के भाग 1/2 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19—7—1982 से क्रय किया है । उपरोक्त भूमि का नामान्तरण भी हो चुका है तथा खसरा अभिलेख में खाना नम्बर 10 व 12 एवं खाना नम्बर 3 में संजय स्कूल एवं स्कूल तथा शिक्षा विभाग का नाम की प्रविष्टि असत्य रूप से अंकित है उक्त प्रविष्टियों को विलोपित किये जाने हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिवत् कार्यवाही कर दिनांक 24—8—2013 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन स्वीकार किया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24—8—2013 से दुखित होकर अनावेदक क्रमांक 1 ने अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के समक्ष समयबाधित एवं अधिकारिता रहित अपील प्रस्तुत की जिसमें आवेदक ने संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करते हुये अनावेदक क्रमांक 1 की अपील अग्राह्य एवं समयबाधित होने के कारण निरस्त करने की प्रार्थना की । अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय ने विवादित आदेश दिनांक 18—06—2014 द्वारा आवेदक की प्रार्थना निरस्त करते हुये अनावेदक क्रमांक 1 को अपील करने का अधिकार होना माना एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील का गुणदोषों पर निराकरण करने के आदेश दिये जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3— प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि जिसमें बताया कि प्रकरण में मूल विवाद राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित भूमि स्वामी की भूमि पर व्यर्थ एवं अनावश्यक हो चुकी प्रविष्टि को विलोपित करने का है जिससे अनावेदक क्रमांक 1 के किसी तथाकथित अधिकार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है । अनावेदक क्रमांक—1 शिक्षा समिति का कर्मचारी है अथवा नहीं, यह विवाद पूर्णतः पृथक विवाद है इस कारण अनावेदक क्रमांक 1 को तहसील आदेश के विरूद्ध अपील करने का अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील न्यायालय में दिये गये मूल आवेदन के अभिकथनों से

पृथक जाकर अनावेदक क्रमांक 1 को अपील करने का अधिकार होना मानने के जो कारण विवादित आदेश में दिये है वे पूर्णतः असंबंधित है । तर्क में यह भी बताया कि विवादित भूमि पर संचालित विद्यालय वर्ष 2011 में बंद कर दिया गया था तथा शासन के शिक्षा विभाग द्वारा उसकी मान्यता भी वर्ष 2012 में समाप्त कर दी गई थी अब विद्यालय का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है । विद्यालय का अस्तित्व समाप्त हो जाने से राजस्व अभिलेखों में उसकी अवास्तविक प्रविष्टि बनाये रखने का कोई औचित्य नही रह जाने से तहसील न्यायालय ने जो आदेश दिया उसके परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत अपील को ग्राह्य करने के लिये विचार करने में अपने विवेक का उचित प्रयोग नहीं किया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क में यह भी बताया कि अनावेदक क्रमाक को तहसील आदेश के विरूद्ध अपील करने का अधिकार इसलिये भी नहीं था कि वह अपने को विद्यालय का प्राचार्य होना अभिकथित करता है । अनावेदक क्रमांक 1 विद्यालय का स्वामी नहीं है, समिति का कर्मचारी मात्र था । अनावेदक क्रमांक 1 का कोई व्यक्तिगत हित प्रभावित नहीं होता है यदि अनावेदक क्रमांक 1 शिक्षा समिति के कर्मचारी होने के विवाद में सफल होता भी है त बवह समिति द्वारा संचालित किये जा रहे विद्यालय में पद प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता हे अनावेदक क्रमांक 1 को यह अधिकार नहीं है कि वह समिति को किसी विशेष स्थान पर विद्यालय संचालित करने के लिये बाध्य कर सके । अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर विचार न कर आदेश पारित करने में भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक क्रमांक 1 हितबद्ध पक्षकार मानने में तथा तहसील न्यायालय में सूचना देना आवश्यक मानने में भी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत विलम्बित अपील को समयसीमा में मान्य करने में त्रुटि की है क्योंकि अपील परिवेदित पक्षकार द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती है । अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय के आदेश आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होने एवं अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित विवादित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया ।

4– अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा तर्को में यही कहा कि अनावेदक कमांक 1 को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायहित में विलम्ब को क्षमा करने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है अंत अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर आवेदक की निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया । प्रकरण अनावेदक कमांक 1 के अधिवक्ता द्वारा तीन दिवस में लिखित तर्क भी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया परन्तु उनके द्वारा उक्त समयावधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये।

5– अनावेदक क्रमांक 2 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगणों के तर्कों पर मनन किया गया एवं विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण खसरे के कालम 12 में विद्यालय की प्रविष्टि को विलोपित करने के संबंध में है । प्रकरणभूमि के स्वामित्व पर विवाद नहीं है । विद्यालय के बन्द हो जाने से भूमि स्वामी ने जो कि विद्यालय संचालन समिति के पदाधिकारी भी हैं, ने उक्त संबंधी प्रविष्टि को हटाने का अनुरोध किया जिसे उचित जॉच के बाद तहसीलदार ने मान्य किया है । प्रकरण में आए तथ्यों से यह प्रमाणित है कि उक्त विद्यालय का संचालन वर्ष 2011 से बन्द है तथा विद्यालय की मान्यता भी वर्ष 2011 से समाप्त हो चुकी है । इस तथ्य को अनुविभागीय अधिकारी ने भी अपने आदेश में स्वीकारा है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष एक अवधि बाहय अपील अनावेदक कमांक 1 ने स्वयं को विद्यालय के प्राचार्य की हैसियत से पेश की है । इसी बिन्दु पर आवेदक ने इस निगरानी में आपत्ति ली है । प्रकरण में यह विवादित नहीं है कि प्रश्नाधीन विद्यालय का अब अस्तित्व नहीं है ऐसी स्थिति में अनावेदक कमांक 1 को स्वयं को प्राचार्य मानते हुये अपील करने का अधिकार नहीं था । वैसे भी प्राचार्य का दायित्व शैक्षणिक दायित्वों तक सीमित होता है अन्य बिन्दु पर कार्यवाही करने का अधिकार

विद्यालय को सचालित करने वाली शासी निकाय का ही होता है । उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 को अनुविभागीय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था तथा अनुविभागीय अधिकारी ने उसके द्वारा प्रस्तुत अपील सुनवाई के लिये ग्राह्य करने में त्रुटि की है ।

7–फलतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है । अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 18–6–2014 निरस्त किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर